

भारत में भारतीय बैंकों में बज्जल-3 पूज्जी विनियमों का कार्यान्वयन-कपिटल प्लानिष्ठा

डॉ. दुष्यन्त देव राजपूत*

भूमिका

भारत में बज्जल समझौता अपनाया गया। बज्जल समझौता बज्जल समिति द्वारा बज्जल मानक निर्धारित किए गए हैं। बज्जल मानक बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दक्षता के लिए है। भारत में अब तक बज्जल वन समझौता बज्जन-2 समझौता लागू किए गए हैं। भारत में बज्जल-3 समझौता लागू करने के लिए बैंकों को जो समय दिया गया है वह 31 मार्च 2019 है। इस समझौते में बैंक को जो पूज्जी लोन के रूप में या और कहीं निवेश के रूप में होती है उस पूज्जी का कुछ प्रतिशत बैंक के पास होना चाहिए जो बज्जल समझौते के तहत है बैंकों के सामने यह समस्या उत्पन्न में है कि जो पूज्जी बज्जल समझौते के तहत बैंक के पास होनी चाहिए वह कसए एकत्र की जाए उसमें बैंक को बहुत सी कठिनाइयों का सामना या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बज्जल दो मानकों को सन 2009 में भारतीय बैंकों में पूरा कर लिया था बज्जल समिति का कार्यालय स्विट्जरलैंड के बज्जल शहर में अंतर्राष्ट्रीय सेंट्रलमेंट बैंक में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बज्जल-3 मानक पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। इस मानक को पूरा करने के लिए बहुत सी बैंकों के सामने पूज्जी की समस्या उत्पन्न होगी स्थिति अगर खराब होती है तो बहुत सी बैंकों को अपना अन्य बैंकों में भी विलय करना होगा या तो बहुत सी बैंक में पूज्जी एकत्र ना करने के कारण बंद हो जाएं। बज्जल-3 समझौता भविष्य में होने वाले विकास की ओर इंगित करता है बज्जल समझौते के बैंकों में नौकरियों के अवसर बढ़ जायेंगे।

* M.Com, MBA (HRM), Ph.d (Commerce), Village+Post- Muskara, Hamirpur, U.P., India.

परिचय

बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दबाने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं उन्हें 'बसल मानक' कहा जाता है। इन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की गई है। चूंकि बसल समिति का सचिवालय स्विट्जरलैंड के बसल शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में स्थित है इसलिए इन्हें बसल मानक कहा जाता है। 1974 में G10 देशों द्वारा 'बसल समिति' का गठन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (Bank for International Settlements - BIS) का प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के बसल शहर में स्थापित है। इसकी स्थापना 17 मई 1930 में की गई थी। यह दुनिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा और केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। हावकाहा और मॉन्सको सिटी में इसका दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं। दुनिया भर में इसका 60 सदस्य देश हैं। और यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 95% कवर करता है।)। बसल समिति ने 1988 में ऋण जोखिम (Credit Risk) को संभालने में बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत हस्तु नियम दिए जिससे 'बसल-1 मानक' कहा जाता है। बसल-1 मानक पूर्णतः ऋण जोखिम पर केंद्रित था। जून, 2004 में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बसल-2 मानकों का निर्धारण किया गया। बसल-2 तीन श्रेणियों (3-Tier) वाली पूंजी संरचना की बात करता है।

दिसंबर, 2010 में बसल-3 मानकों का निर्धारण किया गया। यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसका अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी। बसल-3 मानकों को 1 जनवरी, 2013 से लागू कर 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे लागू किया जाना था। लेकिन 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बसल-3 मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया। इसके लिए बैंकों के पास 3.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी, 4.5 प्रतिशत की श्रेणी-1 पूंजी तथा 8 प्रतिशत की CAR (Capital to Risk Assets Ratio) की कुल पूंजी होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा रही है।

उद्देश्य

बीसीबीएस, (बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति) द्वारा समझौते के सत जो मुख्य रूप से बैंकों और वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पर केंद्रित हैं, को बसल

समझौता कहा जाता है। समझौता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दायित्वों को पूरा करने और अप्रत्याशित नुकसान को अवशोषित करने के लिए वित्तीय सहायताओं का अकाउंट में पर्याप्त पूंजी है। भारत ने बैंकिंग प्रणाली के लिए बसल समझौतों को स्वीकार कर लिया है।

भारत में बैंकिंग प्रणाली के लिए बसल समझौता

अब तक भारत में तीन बसल समझौते 1, 2 और 3 अस्तित्व में आ चुके हैं।

बसल-1

- भारत में बैंकिंग पर्यवेक्षण, बसल समिति पूंजी माप प्रणाली बसल (बीसीबीएस) पूंजी समझौता शुरू किया जिससे बसल-1 का रूप में जाना जाता है। यह पूरी तरह से ऋण जोखिम और बैंकों के लिए जोखिम भार की संचना पर केंद्रित है।
- न्यूनतम आवश्यक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्तियों %8 के (आरब्ल्यूए) पर तय किया गया था।
- भारत ने 1999 में बसल-1 दिशा निर्देशों को अपनाया।

बसल-2

- जून, 2004 में पूंजी पर्याप्तता से संबंधित बसल-2 मानकों का निर्धारण किया गया। बसल-2 तीन श्रेणियों वाली पूंजी संचना की बात करता है जिन्हें बसल-1 समझौते का परिष्कृत संस्करण माना जाता है।
- दिशा निर्देश निम्न मानकों पर आधारित थे
 - बैंकों को जोखिम परिसंपत्तियों की न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता की आवश्यकता को बनाए रखना चाहिए।
 - जोखिम के तीन प्रकार परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, पूंजी जोखिम हैं।
 - बैंकों को उन जोखिम निवृत्ति सेंट्रल बैंक के साथ साझा करना अनिवार्य है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 31 मार्च, 2009 तक सभी भारतीय बैंकों ने बसल-2 के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरा करने के लिए थे।

बसल-3

- दिसंबर, 2010 में बसल-3 मानकों का निर्धारण किया गया। यह बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात का नया अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अंतर्गत जोखिम कम करने के लिए बैंकों को ज्यादा पूंजी रखनी होगी, दिशा निर्देश जारी किए गए। यह दिशा के वित्तीय संकट के बाद पेश किए गए। 2008 निर्देश-वर्ष 2008 में लीमन

ब्रदर्स सितंबर में दिवालिया हो गई थी। ऐस में बसल-2 का को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया था।

- बसल-3 मानदों का उद्देश्य बैंकिंग गतिविधियों जिनका व्यापार बुक गतिविधियों को और अधिक पूंजी प्रधान बनाना है।
- दिशा निर्देशों का उद्देश्य चार महत्वपूर्ण बैंकिंग मानकों पूंजी, वित्त पोषण, लाभ और तरलता पर ध्यान केंद्रित करके एक अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देना है।
- वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली बसल-2 का मानदों का पालन कर रही है।
- बसल-3 मानकों को 1 जनवरी, 2013 से लेकर 31 मार्च, 2018 तक धीरे-धीरे लागू किया जाना था। लेकिन 27 मार्च, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बसल-3 मानकों को पूरी तरह लागू करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दिया।
- इसके लिए बैंकों का पास 3.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी, 4.5 प्रतिशत की श्रेणी-1 पूंजी तथा 8 प्रतिशत की **CRAR (Capital to Risk Assets Ratio)** की कुल पूंजी होनी चाहिए। इसीलिए भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजी उपलब्ध करा रही है।

बैंक कैपिटल का प्रकार

Tier-1 पूंजी-सामान्य शर्तों, प्रॉफेशनल शर्तों व अधिकतम तरलता वाला शर्तों (जिन्हें आसानी से बाजार में बिक्री जा सकता) आदि।

Tier-2 पूंजी-बाइस (**Debt**), प्रॉबेचर जिन्हें आसानी से बाजार में बदला जा सकता है आदि।

(3-Tier) पूंजी

(3-Tier) पूंजी संरचना की बात करता है जिसमें श्रेणी-1 पूंजी सर्वाधिक स्थायी तथा अनपक्षित हानियों का विरुद्ध तत्काल सहायता का रूप में उपलब्ध होती है। इसको 'कोर कैपिटल' कहा जाता है जिसका अंतर्गत सांघिक संचित निधियाँ शर्तों पर प्राप्त प्रीमियम, आस्तियों की बिक्री से प्राप्त पूंजी तथा प्रारक्षित निधियाँ आदि होती हैं। द्वितीय श्रेणी की पूंजी का अंतर्गत घोषित न की गई संचित निधियाँ तथा हाइब्रिड ऋण पूंजी प्रपत्र आदि होता है। बसल-2 में दी गई श्रेणी-3 पूंजी का अंतर्गत अल्पकालीन अधीनस्थ ऋण रखा जाता है। श्रेणी-3 पूंजी का उद्देश्य बाजार जोखिम की पूंजी

आवश्यकता का कुछ भाग को पूरा करना है। पूंजी पर्याप्तता मानक निर्धारण का सदर्भ में यह ध्यान रखा जाता है कि श्रेणी-2 की पूंजी किसी भी दशा में किसी भी समय श्रेणी-1 का 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा अधीनस्थ ऋण इन्फ्लूमेंट्स श्रेणी-2 पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक का अनुसार 31 मार्च, 2009 तक सभी भारतीय बैंकों का द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक बक्षल-2 का सभी मानक पूरा कर लिए गए हैं।

बक्षल-3 कार्याय

बैंकिंग पर्यवक्षण पर बासल समिति का अनुसार, " बक्षल-3 सुधार उपायों का एक व्यापक सट है जिससे बक्षल समिति ने बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवक्षण और जोखिम प्रबन्धन को मजबूत बनाने का लिए बैंकिंग पर्यवक्षण पर तयार किया है।"

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि बक्षल-3 बक्षल समिति द्वारा बक्षल-1 और बक्षल-2 का तहत बैंकिंग नियामक रूपरेखा में सुधार है। बैंकिंग पर्यवक्षण पर शुरू किए गए प्रयासों का अगला कदम है यह नवीनतम समझौता वित्तीय एवं आर्थिक तनाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता और जोखिम प्रबन्धन में सुधार एवं बैंक की पारदर्शिता को मजबूत बनाना चाहता है।

बक्षल-3 उपायों का उद्देश्य

1. वित्तीय और आर्थिक अस्थिरता से पदा हुए उतार- चढ़ाव से निपटने में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना।
2. जोखिम प्रबन्धन क्षमता और बैंकिंग क्षेत्र का प्रशासन में सुधार लाना।
3. बैंक की पारदर्शिता एवं खुलासे को मजबूत बनाना।
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गण-विधायी सिफारिशों का कार्यान्वयन।
5. निवेशकों को वित्तीय परिसृष्टियों की समस्त श्रणियों का एक सिञ्चाल व्यू उपलब्ध कराने का लिए एक रिपोजिटरी स्थापित करने का मुद्दा।
6. बक्षल-3 विनियमों और पर्यवक्षीय पूंजीगत अपक्षाओं को मद्दजर रखते हुए अगले पाँच वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की पूंजीगत आवश्यकताएँ सुझाने का उपाय।
7. साथ ही, इसमें वित्तीय क्षेत्र का लिए एक कारगर समाधान तब स्थापित करने का उपायों पर भी विचार किया।

इसलिए हम कह सकते हैं कि बसल-3 दिशानिर्देश का लक्ष्य आर्थिक एवं वित्तीय तनाव की अवधि में बैंकों की क्षमता में सुधार लाना है क्योंकि नए दिशा-निर्देश बैंकिंग क्षेत्र में पूंजी एवं तरलता की पूर्ण आवश्यकताओं का मुकाबला अधिक सख्त है।

बसल-1 और बसल-2 की तुलना में बसल-3 में प्रमुख प्रस्तावित बदलाव

- पूंजी की बृद्धि गुणवत्ता: बसल-3 का प्रमुख तत्वों में से एक है पूंजी की अधिक सख्त परिभाषा। पूंजी की बृद्धि गुणवत्ता का अर्थ है नुकसान भरपाई की उच्च क्षमता। इसका अर्थ है बैंक तनाव की अवधि को सहन करने का लिए अधिक मजबूत बनेंगे।
- पूंजी संरक्षण बफर (Capital Conservation Buffer): बैंकों को 2.5% पूंजी संरक्षण बफर रखना होगा। बैंकों से संरक्षण बफर बनावाना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक, पूंजी की एक निर्धारित मात्रा अपने पास रखें ताकि वित्तीय और आर्थिक तनाव की अवधि में व नुकसान की भरपाई में व उसका इस्तमाल कर सकें।
- काउंटरसाइकिलकल बफर (Countercyclical Buffer): अच्छे समय में पूंजी जरूरतों में बढ़ोतरी करने और बुरे समय में उसमें कम करने का उद्देश्य से शामिल किया गया था। जरूरत से ज्यादा इस्तमाल किए जाने पर बफर बैंकिंग गतिविधि को धीमा कर देगा और बुरे समय में उधार देना को बढ़ावा देगा। बफर 0% से 2.5% के बीच होगा। इसमें सामान्य इक्विटी या पूरी तरह से नुकसान की भरपाई करने वाली अन्य पूंजी होगी।
- न्यूनतम सामान्य इक्विटी और टीयर-1 पूंजी आवश्यकताएं: सामान्य इक्विटी का लिए न्यूनतम आवश्यकता, नुकसान की भरपाई करने वाली पूंजी का सर्वोच्च रूप, को बसल-3 में कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का 2% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है। समग्र टीयर-1 पूंजी आवश्यकता, जिसमें न सिर्फ सामान्य इक्विटी होती है बल्कि अन्य योग्य वित्तीय उपकरण भी होते हैं, में भी बढ़ोतरी की जाएगी और वर्तमान न्यूनतम 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया जाएगा। हालांकि न्यूनतम कुल पूंजी आवश्यकता वर्तमान 8% के स्तर पर बनी रह रही है, फिर भी आवश्यक कुल पूंजी को जब संरक्षण बफर के साथ मिलाया जाएगा तो यह बढ़कर 10.5% हो जाएगा।

- लीवरज अनुपात: 2008 का आर्थिक सङ्कट की समीक्षा में पाया गया कि अतीत में हुए अनुभवों का आधार पर लगाए गए अनुमानों का मुकाबला कई परिसंपत्तियों का मूल्य बहुत तजी सँकम हुआ। इसलिए, अब बजाल-3नियमों में सुरक्षा तब (safety net) का तौर पर **Leverage Ratio** को शामिल किया गया है। **Leverage Ratio** पूँजी और कुल परिसंपत्ति (जोखिम का बगल) की मात्रा की सापक्ष मात्रा है। इसका उद्देश्य वधिक आधार पर बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना है। जनवरी 2018 में अनिवार्य **Leverage Ratio** लागू करने सँ पहलू टीयर-1 का लिए 3% का **Leverage Ratio** का परीक्षण किया जाएगा।
- तरलता अनुपात (Liquidity Ratios): बजाल-2का तहत, तरलता जोखिम प्रबंधन का लिए रूपरखा बनाई जाएगी। नई तरलता कवरज अनुपात (LCR) और नष्ट स्टबल फण्डिषा रक्षयो (NSFR)को क्रमशः 2015 और 2018 में लागू किया जाना है। प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (**Systemically Important Financial Institutions- SFI**): माइक्रो- प्रौंशियल रूपरखा का हिस्सा का तौर पर, प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण बैंकों सँ बजाल-3का पार नुकसान- भरपाई की क्षमता की उम्मीद की जाती है। कार्यान्वयन का लिए विकल्पों में पूँजी अधिभार, आकस्मिक पूँजी और जमानत- ऋण शामिल है।

भारत में बजाल-3 पूँजी विनियमों का कार्यान्वयन - कपिटल प्लानिषा:

- बजाल-3पूँजी विनियम का कार्यान्वयन को दखत हुए, बैंकों को उनकी पूँजी योजना प्रक्रियाओं में सुधार और मजबूत करने की जरूरत है। पूँजी नियोजन अभ्यास आयोजित करते समय, बैंक बदलत हुए मक्रोआर्थिक स्थितियों का सभावित - प्रभाव और नियामक पूँजी की पर्याप्तता और सञ्चना पर आवधिक तनाव। परीक्षणों का परिणामों पर विचार कर सकते हैं एक आग की तलाश वाली पूँजी योजना प्रक्रिया बैंकों को मध्यम अवधि का दौरान अपन व्यापार रणनीतियों का समर्थन करने का लिए आवश्यक पूँजी का स्तर का उचित रूप सँ मूल्यांकन करने में सक्षम हो जायगी।
- बजाल-3 दिशा निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन का बाद का वर्षों की तुलना में प्रारंभिक वर्षों का दौरान पूँजी अपक्षाएँ काफी कम हो सकती हैं। तदनुसार, बैंकों को अपनी पूँजी नियोजन व्यायाम करने का दौरान इस पहलू को ध्यान में रखना

चाहिए। बैंकों का बोर्णों को पूंजी नियोजन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मग्न होना चाहिए और इसका कार्यान्वयन की निगरानी करना चाहिए।

- दस से उद्योग की व्यापक चिन्ताओं को सशक्ति की गुणवत्ता पर बल दिया और बैंकों का प्रदर्शन लाभप्रदता पर असर पड़ने का बारा में व्यक्त किया गया है। / यह बेसल-3 पूंजी विनियमों का पूर्ण कार्यान्वयन का लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत समयावधि का भीतर बैंकों को पूंजी जुटाने का लिए कुछ प्रमुख समय की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, भारत में बेसल-3 पूंजी विनियमों का पूर्ण कार्यान्वयन का लिए सक्रमणकालीन अवधि 31 मार्च 2018 तक की बजाय 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाई गई है। यह भारत में बेसल-3 का पूर्ण कार्यान्वयन को भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत तारीख 1 जनवरी, 2019 है।
- उपर्युक्त का अलावा, दिशानिर्देशों का कुछ अन्य पहलुओं विशिष्ट रूप से गण-इक्विटी पूंजी वाद्ययन्त्रों का हानि अवशोषण सुविधाओं से सम्बन्धित इस सम्बन्ध में समीक्षा की गई है। मांगा गए स्पष्टीकरण का जवाब में
- इस परिपत्र में अनुबन्ध में अन्य सशोधनों का साथ सशोधित सक्रमणकालीन व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं। इसका अलावा, इन निर्देशों को बेसल-3 पूंजी विनियमों का बाद का मास्टर परिपत्र में शामिल किया जाएगा।

1. बेसल-3 ट्रांजिशनल व्यवस्थाएं

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए बेसल-3 पूंजी विनियमों का सशोधन में, कैपिटल सशक्षण बफ़र को (सीसीबी) 31 मार्च, 2015 से चरणबद्ध चरणों में लागू किया जाएगा और 31 मार्च, 2018 को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा। निर्णय लिया कि सीसीबी का क्रियान्वयन 31 मार्च, 2016 तक शुरू होगा। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2019 को बेसल-3 पूंजी विनियमों का पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाएगा। मास्टर परिपत्र का अनुच्छेद 4.5 में निर्दिष्ट सक्रमणकालीन व्यवस्था इसलिए है इसलिए सशोधित का अन्तर्गत:

सक्रमणकालीन व्यवस्था- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एलएबी और आरआरबी को छोड़कर)							
(आरब्ल्यू क%)							
न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 अप्रैल, 2013	31 मार्च, 2014	31 मार्च, 2015	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2019
न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

पूजी सक्षम बफर (सीसीबी)	-	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी 1 + सीसीबी	4.5	5	5.5	6.125	6.75	7.375	8
न्यूनतम टीयर 1 पूजी	6	6.5	7	7	7	7	7
न्यूनतम कुल पूजी *	9	9	9	9	9	9	9
न्यूनतम कुल पूजी + सीसीबी	9	9	9	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी 1 (% में) सभसे कटौती की चरण में #	20	40	60	80	100	100	100
* न्यूनतम 9% की पूर्ण पूजी आवश्यकता और टीयर 1 आवश्यकता का बीच का अंतर पूरा किया जा सकता है टीयर 2 और पूजी का उच्च रूपों का साथ; # समान बदलाव का तरीका अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 की राजधानी सभसे कटौती पर लागू होगा।							

- इसका अतिरिक्त, मास्टर परिपत्र का अनुच्छेद 15.2 की तालिका 25 को निम्नानुसार सशोधित किया गया है।

तालिका 25: व्यक्तिगत बैंक का लिए न्यूनतम पूजी सक्षम मानकों			
मौजूदा को शामिल करना बाद सामान्य इक्विटी टीयर 1 अनुपात अवधि कमाई बनाए रखा			न्यूनतम पूजीगत सक्षम अनुपात (आय का रूप में व्यक्त किया गया)
एक पुत्र 31 मार्च, 2016	एक पुत्र 31 मार्च, 2017	एक पुत्र 31 मार्च, 2018	
5.5% - 5.65625%	5.5% - 5.8125%	5.5% - 5.96875%	100%
> 5.65625% - 5.8125%	> 5.8125% - 6.125%	> 5.96875% - 6.4375%	80%
> 5.8125% - 5.96875%	> 6.125% - 6.4375%	> 6.4375% - 6.9625%	60%
> 5.96875% - 6.125%	> 6.4375% - 6.75%	> 6.90625% - 7.375%	40%
> 6.125%	> 6.75%	> 7.375%	0%

2. गण-इक्विटी कपिटल इम्प्लेमेंट्स की हानि अवशोषण विशिष्टताएं

- अतिरिक्त टीयर 1 (एटी 1) पूजीगत साधनों का लिए अन्य बातों का लिए मानदण्डों की आवश्यकता होती है कि इन उपकरणों का माध्यम सभसे आम शर्तों में रूपांतरण या लिखनवाली एक तब जिसका माध्यम सभसे उद्देश्य का लिए उपकरणों को नुकसान आवष्टित करता है पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर -निर्दिष्ट ट्रिगर बिंदुपूर्व-का (आरब्ल्यूएस) जोखिम भारित सभसे 6.125% का सामान्य इक्विटी स्तर 1 (सीईटी 1) पर सभसे किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2019 सभसे पहलसभसे 3 का पूर्ण कार्यान्वयन सभसे पहलसभसे 3 का अनुरूप एटी 1 लिखतों का जारी किए गए दो पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर्स होंगे- आरब्ल्यूएस का 5.5% का सीईटी 1 पर प्री विनिर्दिष्ट ट्रिगर लागू होगा और-31 मार्च, 2019 सभसे

पहल प्रभावी रहणा, जिसका बाद इस ट्रिगर को ऐस सभी उपकरणों का लिए 6.125% आरब्ल्यूएस का सीईटी 1 में बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च 2019 को या उसका बाद जारी किए गए एटी 1 का जरिए, कछल आरब्ल्यूएस का 6.125% का सीईटी 1 पर पूर्वनिर्दिष्ट ट्रिगर किया जाएगा।-

- वर्तमान में, रूपांतरण सुविधा का अलावा, एटी 1 कापिटल इम्पूमेंट्स का लिए पूर्व-उन सुविधाओं दोनों को -अस्थायी और स्थायी लखन निर्दिष्ट ट्रिगर बिंदु पर अनुमति दी गई है। समीक्षा पर, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक एटी 1 पूंजीगत साधनों को रूपांतरण स्थायी लिखनवाली सुविधाओं का साथ ही जारी / कर सकत हैं। इसी प्रकार, गखन ट्रिगर पर लिख (पीओएनवी) व्यवहार्यता का बिंदु की सुविधा का सबंध में, सभी गखइक्विटी पूंजीगत साधनों में कछल स्थायी - लखन सुविधा होगी, यहा तक कि उन मामलों में जहा धन का कोई सार्वजनिक क्षत्र इज्जेशन नहीं है। इसका अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र की तारीख तक अस्थायी लखन थ जारी सुविधा का सा-बल-3 सशात पूंजी वाद्ययंत्रों को पात्र नियामक पूंजीगत साधनों का रूप में मान्यता प्राप्त रहणी।

3. कापिटल इम्पूमेंट्स पर िविण / कूपन विवक

- 'वितरित वस्तुओं का सबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि आम शखरों और सतत गखपर लाभाक्ष को चालू वर्ष का मुनाफा (पीएसपीएनसी) सबंधी अधिमान शखरों-सही भुगतान किया जाएगा।
- 'वितरित वस्तुओं का सबंध में, यह स्पष्ट किया गया है कि यदि चालू ऋण का लिए स्थायी ऋण साधन पर कूपनों का भुगतान होना की सभावना है (पीपीआई), तो उनकी घोषणा उस हद तक समाप्त नहीं की जानी चाहिए। इसका अलावा, सतत ऋण उपकरणों पर कूपन बनाए रखा आय भणार सभुगतान नहीं किया / जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कूपन का भुगतान को बनाए रखा आय भणार / कम करण का असर नहीं होना चाहिए।

4. बैंक द्वारा लाभाक्ष भुगतान

- वर्तमान में, बैंकों द्वारा लाभाक्ष भुगतान 'बैंकों द्वारा लाभाक्ष घोषित करण पर मई 04, 2005 का परिपत्र पीबीओपी नं० बीपी. बीसी.8.8 / 21.02.067 / 2004-05 का प्रावधानों द्वारा शासित है। इसका अलावा, बल-3 ढाख वितरण पर कुछ बाधाएँ लता है। यदि (या बोनस का भुगतान यानी किसी भी रूप में लाभाक्ष)

यानी पूँजी सञ्चक्षण और काउंटरसाइकल) बैंकों की पूँजी स्तर पूँजी बफर प्रक्रमवर्क बफर, आदि।।(यह स्पष्ट किया जाता है कि पूँजी बफर ढाँचा का ढल लग जाना का बाद, बैंकों द्वारा लाभाशा भुगतान इन दोनों दिशानिर्देशों का सपर्क सनियमित होगा।

- सञ्चोग सन उपरोक्त परिपत्र का 'बोर्ड उपक्षा' पर पशा 5 (पीका तहत बसल द्वितीय (पूँजी आवश्यकताओं का सदर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू प्रचलित पूँजी पर्याप्तता ढाँचा और भारत में परिचालित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का लिए लागू होना चाहिए। ।

5. पूँजीगत उपकरण की वकल्पिकता

बसल-3 का अनुरूप पूँजीगत साधनों का विकल्प का सञ्च में आवश्यक मानदों में सन एक यह है कि एक बैंक को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उम्मीद करता है कि कॉल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण का लिए, उपकरण की ऐसी अपक्षा को रोकन का लिए, जिसलाभाशा / कूपन रीसट ढट कहा जाता है को कॉल की तारीख का साथ सह-टर्म नहीं होना चाहिए। बैंक, अपन विवक पर, लाभाशा / कूपन रीसट की तारीख और कॉल की तारीख का बीच एक उपयुक्त अतराल पर विचार कर सकत हैं।

बसल-3 मानद भारतीय बैंकों को निम्न प्रकार प्रभावित करेगा

बसल-3 जिस समय- समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुसार भारत में बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है न सिर्फ बैंकों का लिए लफिन भारत सरकार का लिए भी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। अनुमान का अनुसार भारत का बैंकों को आगामी नौ वर्षों या 2020 (सञ्चठन का अनुसार अनुमान बदल जाएगा) तक बाहरी पूँजी को 6,00,000 करोड़ रुपयों करन की जरूरत होगी। इस हद तक पूँजी का विस्तार इन बैंकों खास कर निजी क्षत्र का बैंकों की इक्विटि रिटर्न्स को प्रभावित करणी। हालांकि, भारतीय बैंकों का लिए सिर्फ यही राहत की बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि सन उन्होंने न्यूनतम नियामक की पहल में अपन मूल और समग्र पूँजी तक पहल को बनाए रखा है।

बसल-3 / BASE III Nrs का महत्वपूर्ण बिंदु

- **FB** का आदशानुसार, इस मार्च 2018 सन लागू किया जाना था,
- मगर भारतीय बैंक इतन कम समय में इतन पक्षा का जुगाड़ करन में असक्षम दिखीं

- इसलिए **FB** का गवर्नर रघु राम राजन न इसका **लाइन** को बढ़ा कर मार्च 2019 कर दिया,
- सरकारी बैंकों को भी आशा थी कि सरकार टक्स स मिलन वाल पक्षों स इन चीजों का लिए उन्हें पक्षा दखी,
- मगर वित्त मंत्री अरुण जटली न इसका ख न किया और 2014 का बजट में आदशा दिया कि यदि इन सब कार्यों का लिए कपिटल रखना ह तो खुद जुगाड करना सीखो। पब्लिक में अपना शखर बखो या **FB** स उधार लो।

बखल-3 की समस्या/निदा

- यह सब समस्या भारत में लाइ ही क्यों गई थी जब में पहल स ही रिजर्व बैंक ऑफ इया का पास इतन सारा सीआरआर एसएलआर आदि ह अब बैंकोको हर 2 हफ्त में आरबीआई को अपन क्राइनेसियल स्टदस का बार में रिपोर्ट दखी पडती ह
- यूनाइटा स्टद का ग्रद रिसशनफिर स ना हो इसलिए यूनाइटा स्टद में बखल लाया गया इसका मतलब यह नही कि भारत में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो भारत की इकोनॉमी और निवशा की इकोनॉमी अलग-अलग ह हमारा दशा आर्थिक रूप स पिछडा ह इतन पक्ष अपन पास रखन स अच्छा ह कि इन्हें गरीबों को लोन दख में प्रयोग किया जाना चाहिए,
- यदि भारत की बैंकों का पास जो पूजी ह उसका 10% ह स्थिर रहती ह और 90% पूजी सकल काम में प्रयोग की जाती ह तो उस 10% पूजी को रखन का क्या औचित्य ह पूजी का सिद्धात ह कि जितना अधिक रन पर पूजी रहणी उतना ही अधिक विकास होगा पूजी की स्थिरता स उतना विकास रुक जाता ह जितनी पूजी स्थिर रहती ह
- बैंकों का पास इतनी समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि उन्हें अपनी बैंक हिस्सदारी तक को बखना पड सकता ह अगर उन्होंने मानक का अनुरूप पूजी नही दिखाई,
- अगर बैंकों में पर्याप्त पूजी एकत्र नही कर पाई जो स्थिर रखनी चाहिए तो हो सकता ह कि कुछ बैंकों को टूटना पड या किसी अन्य बैंक में अपना विलय करना प सकता ह

परिशिष्ट (References):

1. Bank For International Settlements, "Basel Committee on Banking Supervisions", <http://www.bis.org/bcbs/Index/htm>
2. Handbook of BASEL III capital enhancing Bank capital in practice best John Ramirez printed in Great Britain by TJ International Ltd Padstow, Cornwall UK

3. BASEL III and beyond there's a guide to Banking Regulation after the crisis – Francesco Cannata Mario Qualiariello, Publisher- Risk Book 2011
4. Countercyclical Capital Buffers- Exploring options-_ Mathias Drehmann, publisher bank for international settlements monetary and Economics department 2010 Indiana University
5. BASEL III evaluation and impact in the Czech Republic-JakabGleta, Publisher-LAP Lambert Acad.Publ,2011
6. BASEL III, The devil and global banking- D. Chorafas-_ publisher Pal grave Macmillan UK 2011 2012
7. Tower of BASEL the inside story of the central bankers secret Bank Adam LeBor,_ publisher public affairs London.
8. A Course in BASEL II and BASEL III course workbook 2 December 2015 Jaffer Mohammed Ahmed_Publisher Kindle Edition.
9. Basil to leverage ratio basic concepts and brief analyse about Basil tree and leverage ratio- Giacomo Grade, Publisher Kindle Unlimited.
10. The theory and practice of treasury and risk management in banks DK Print world Publisher Taxmann Publications Pvt. Ltd.
11. Credit Risk Management RBI Oblique Basel to Implications- SK Bagchi
12. Reserve Bank of India Publications annual report on Trend and progress of Banking in India.
13. Operational Risk Toward Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management, and Regulation,_ Greg N. Gregoriou, New York.
14. Online Internet Site [http:// www.sbi.co.in](http://www.sbi.co.in)
15. Magazine business India, Outlook Business, Business World Business Today etc
16. Newspapers the Hindustan Business Line, Economics Times of India, Business Line LKO, Business Standard, Financial Express LKO, The Pioneer LKO, Hindustan Times LKO, Indian Express.